प्रेस-संख्या–142 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 जुलाई, 2018

आषाढ़ 11, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 10/2018/2783/6-पु-1–18-650(59)/2002 टीसी-VI

लखनऊ, 2 जुलाई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–71

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा–2 के साथ पठित धारा–46 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–14 का संशोधन [illegible]

2– उत्तर प्रदेश पुलिस [illegible] गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये नियम–14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

14–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु, यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

14–ऐसा/ऐसी व्यक्ति–

(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

नियम–16 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

रिक्तियों की अवधारणा

16–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की रिक्तियों की अलग–अलग संख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे जो इसे बोर्ड एवं सरकार को भी प्रेषित करेगा तत्पश्चात पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों एवं जन संचार के अन्य माध्यमों से अधिसूचित की जायेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

रिक्तियों का अवधारण

16–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या, बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा। तत्पश्चात बोर्ड, निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:–

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके, और

(चार) जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

प्रमुख सचिव।